न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निग 1720- I-16

घनश्याम रैकवार तनय शिवलाल रैकवार
निवासी ग्राम गुंजी तह. व जिला दमोह ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

17 MAY 2016

श्रीमति अवधरानी बेवा कन्हैया रैकवार
निवासी ग्राम गुंजी तह. व जिला दमोह ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 417/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21/3/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गुंजी स्थित भूमि खसरा क्र 158,167,967,968/2 रकवा क्रमशः 0.170,0.040,1.230,0.180 हे पर अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था तथा चूंकि अनावेदक की कोई संतान नहीं है तथा उसके पति का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है इस कारण से वह अपने एक मात्र रिश्तेदार अपने भांजे आवेदक के साथ निवासरत् थी तथा आवेदक ही अनावेदक का भरण पोषण इत्यादि करता रहा है जिस कारण से अनावेदक द्वारा अपनी पूर्ण सहमति देकर नामांतरण पंजी क्र 21 आदेश दिनांक 30/7/09 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम स्वीकृत कराया गया परंतु बाद में अन्य व्यक्ति जो आवेदक से रंजिश रखते उनके बहलाने पर अनावेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा भी विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

42
18/05/16

(जितेन्द्र सिंह
एड. राजस्व
94251-71223)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.1720/I/16..... जिला ...दमोह.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	1– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क सुने। 2– मैनें प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 417/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21/03/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि ग्राम गुंजी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 158, 167, 967, 968/2 रकवा क्रमशः 0.170, 0.040, 1.230, 0.180 हे0 भूमि पर अनावेदक नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था तथा चूकिं अनावेदक के पति का स्वर्गवास हो चुका है व उसकी कोई संतान नहीं है इस कारण वह आवेदक के साथ जो कि उसके रिश्ते में उसका भांजा है निवासरत रही तथा पूर्ण सहमति से दिनांक 30.07.2009 को पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज किए जाने पर सहमति दी, परंतु बाद में एक समय अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के विपक्ष में आदेश पारित किया गया जिसकी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई परंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों व विधिक प्रावधानों के विपरीत अपना आदेश पारित किया गया है। 4– आवेदक का यह भी तर्क है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि उसके नाम पर दर्ज है तथा उसके द्वारा अत्याधिक परिश्रम व धन व्यय कर भूमि को काबिल काश्त बनाया है। आवेदक का यह भी कहना है कि आवेदक अनावेदक का एक मात्र वैध वारिस है तथा अनावेदक द्वारा उन व्यक्ति जो आवेदक से रंजिश रखते है के बहकावे में आकर अनुविभागीय अधिकारी दमोह के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी वह कभी भी अनुविभागीय अधिकारी दमोह अथवा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है।	

[क. प. उ.

R-1720-I/16 (Gupta)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। आवेदक के पक्ष में नामांतरण पंजी क्र. 21 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2009 के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण स्वीकृत किया गया था जिसमें अनावेदक द्वारा अपनी पूर्ण सहमति दी गई थी जिस कारण उसे सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी जिस कारण से मैं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थित रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—03—2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.14 निरस्त किए जाते है तथा नायब तहसीलदार दमोह द्वारा संशोधन पंजी क्रमांक 21 वर्ष 2008—09 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2009 यथावत रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	